

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

शंकर लाल बनाम मोहन लाल

किरम मुकदमा:-इजराय आदेश -21 नियम-11 नम्बर 24 सन 2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर:-

तारीख हुवम	हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
...../..... /2025	<p>इजराय सीमे से बाद जाँच पेश हुई। अधिवक्ता डिक्रीदार उपस्थित। इजराय दर्ज रजिस्टर कि जाकर डिक्री एवं निर्णय की प्रति तहसीलदार बिजौलियां को भेजकर पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली वास्ते पालना रिपोर्ट दिनांक 26./...8../2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा</p>	
26/8/25	<p>पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते पालना रिपोर्ट आगामी दिनांक 16/9/25 को पेश हो</p>	
16/9/25	<p>पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते पालना रिपोर्ट आगामी दिनांक 14/10/25 को पेश हो</p>	
14/10/25	<p>पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते पालना रिपोर्ट आगामी दिनांक 28/10/25 को पेश हो</p>	
8/10/25	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक परिषद बिजौलियां द्वारा कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली दिनांक 18/11/25 को वास्ते पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया</p>	
8/11/25	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते पालना रिपोर्ट आगामी दिनांक 02/12/25 को पेश हो।</p>	
2/12/25	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 22/12/25 को वास्ते पालना पेश हो</p>	<p>Adjourned by bar Council Bijoliya</p>

उपखण्ड अधिकारी

22/12/25

पत्रावली पत्रा हुआ। एक वादी/प्रत्याद
उपस्थित श्रीमान् P.O. से दौरे पर हैं। पत्रावली
दिनांक 23/12/25 को वास्तु पत्रा हो।

अधिकारी

23/12/25

पत्रावली पत्रा हुई। पत्रावली में पत्रा प्राप्त
है, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली
संख्या से कम होकर, दाखिल दफ्त हो।



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा

क्रमांक/रीडर/2025/1680

दिनांक: 21/08/2025

प्रेषित:-

तहसीलदार

बिजौलियां।

विषय:- इजराय प्रकरण संख्या 24/2025 शंकरलाल पुत्र मांगीलाल धाकड़ बनाम मोहनलाल पुत्र हीरा धाकड़ की पालना किये जाने बाबत।

तहोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इजराय प्रकरण संख्या 24/2025 शंकरलाल पुत्र मांगीलाल धाकड़ बनाम मोहनलाल पुत्र हीरा धाकड़ की पालना की पालना बाबत मूल वाद प्रकरण संख्या 12/2025 वात्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काशतकारी अधिनियम निर्णय दिनांक 24.06.2025 के निर्णय एवं डिक्री की छाया प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

अतः किसी अन्य न्यायालय का स्थगन इत्यादि नहीं होने पर नियमानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट दिनांक 26.08.2025 से पूर्व इस न्यायालय को भिजवाने की सुनिश्चितता करें।

संलग्न:- निर्णय एवं डिक्री की फोटो प्रति दो जम्मा है।



(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां